

दैनिक समसामयिकी विश्लेषण

समय: 45 मिनट

दिनांक: 01-12-2025

विषय सूची

- » विश्व एड्स दिवस
- » डूरंड रेखा: संवेदनशील सीमांत
- » भारत और विश्व में गन्ने की विभिन्न भूमिकाएँ
- » रुपये का अवमूल्यन: वैश्विक अस्थिरता और संरचनात्मक चिंताएँ
- » भारत के परमाणु क्षेत्र में निजी क्षेत्र का प्रवेश

संक्षिप्त समाचार

- » एलोरा की गुफाएँ
- » हॉर्नबिल महोत्सव
- » बैकोनूर कॉस्मोड्रोम
- » ऑनलाइन मैसेजिंग प्लेटफॉर्म के लिए SIM बाइंडिंग अनिवार्य
- » भारत 2025-29 के कार्यकाल के लिए यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड में पुनः निर्वाचित
- » केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF)
- » हंसा-3 एनजी ट्रेनर विमान
- » खाद्य और कृषि के लिए पादप आनुवंशिक संसाधनों पर अंतर्राष्ट्रीय संधि

विश्व एड्स दिवस

संदर्भ


- विश्व एड्स दिवस प्रत्येक वर्ष 1 दिसंबर को मनाया जाता है।

परिचय

- यह प्रत्येक वर्ष एचआईवी/एड्स महामारी के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है।
- इसे प्रथम बार 1988 में विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा मनाया गया था।
- थीम 2025:** व्यवधानों पर विजय, एड्स प्रतिक्रिया का रूपांतरण।
 - यह थीम महामारी, संघर्ष और असमानताओं से उत्पन्न व्यवधानों को दूर करने की तात्कालिकता को उजागर करती है, जो देखभाल तक पहुँच को सीमित करते हैं।

एचआईवी एड्स


- मानव इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस (HIV) एक वायरस है जो शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली पर हमला करता है।
 - एचआईवी शरीर की श्वेत रक्त कोशिकाओं को प्रभावित करता है, जिससे प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर हो जाती है। इससे तपेदिक, संक्रमण और कुछ कैंसर जैसी बीमारियाँ आसानी से हो सकती हैं।
 - अर्जित इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम (AIDS) संक्रमण के सबसे उन्नत चरण में होता है।



- संक्रमण का प्रसार:** एचआईवी संक्रमित व्यक्ति के शरीर के तरल पदार्थों से फैलता है, जिनमें रक्त, स्तन दूध, वीर्य और योनि स्राव शामिल हैं। यह माँ से बच्चे तक भी फैल सकता है।
- उपचार:** एचआईवी संक्रमण का कोई उपचार नहीं है। इसका उपचार एंटीरेट्रोवायरल दवाओं से किया जाता है, जो शरीर में वायरस को बढ़ने से रोकती हैं। अनुपचारित एचआईवी कई वर्षों बाद एड्स में बदल सकता है।

भारत में एचआईवी एड्स

- संक्रमण में कमी आई है — 2010 में 0.33% से घटकर 2024 में 0.20%।
- भारत की प्रसार दर वैश्विक औसत 0.7% से काफी कम है।
- भारत में नए संक्रमण वैश्विक कुल (2024 में 1.3 मिलियन) का केवल लगभग 5% हैं।



राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम (NACP)

- यह पाँच चरणों में विकसित हुआ है, जो बुनियादी जागरूकता से व्यापक रोकथाम, परीक्षण, उपचार और स्थिरता तक पहुँचा।
 - NACP I (1992–1999):** भारत का प्रथम व्यापक एचआईवी/एड्स रोकथाम और नियंत्रण कार्यक्रम।
 - उद्देश्य:** एचआईवी के प्रसार को धीमा करना और एड्स से होने वाली बीमारियों, मृत्यु दर एवं समग्र प्रभाव को कम करना।
 - NACP II (1999–2006):** एचआईवी/एड्स से निपटने के लिए दीर्घकालिक राष्ट्रीय क्षमता को सुदृढ़ करना।
 - NACP III (2007–2012):** 2012 तक एचआईवी महामारी को रोकना और उलटना।

- **रणनीति:** उच्च-जोखिम समूहों (HRGs) और सामान्य जनसंख्या में रोकथाम का विस्तार।
- ▲ **NACP IV (2012–2017):** नए संक्रमणों में 50% की कमी (2007 के आधार स्तर की तुलना में)।
 - **विस्तारित (2017–2021):** 2030 तक एड्स समाप्त करने के लक्ष्य को आगे बढ़ाना।
- ▲ **मुख्य पहलें:**
 - एचआईवी/एड्स (रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 2017 – यह एचआईवी से पीड़ित लोगों (PLHIV) के विरुद्ध भेदभाव को रोकता है।
 - मिशन संपर्क – इसका उद्देश्य उन PLHIV को “वापस लाना” था जिन्होंने एंटीरेट्रोवायरल थेरेपी (ART) बंद कर दी थी।
 - नियमित सार्वभौमिक वायरल लोड निगरानी।
- ▲ **NACP V (2021–2026):** एक केंद्रीय क्षेत्र योजना के रूप में शुरू किया गया, जिसका उद्देश्य विगत उपलब्धियों पर निर्माण करना और स्थायी चुनौतियों का समाधान करना है।
 - इस चरण का लक्ष्य संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य 3.3 का समर्थन करना है, ताकि 2030 तक एचआईवी/एड्स महामारी को सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरे के रूप में समाप्त किया जा सके।

निष्कर्ष

- भारत में एड्स की कमी वैश्विक औसत से अधिक प्रमुख है, जिसे व्यापक परीक्षण, एंटीरेट्रोवायरल थेरेपी तक बेहतर पहुँच, उच्च-जोखिम समूहों तक केंद्रित पहुँच एवं कलंक से लड़ने की पहलों द्वारा समर्थित किया गया है, जो राज्य और समुदाय की संयुक्त कार्रवाइयों के माध्यम से लागू की गई।

Source: TH

डूरंड रेखा: संवेदनशील सीमांत

संदर्भ

- पाकिस्तान और अफ़ग़ानिस्तान के बीच शांति वार्ता के विफल होने से लंबे समय से विवादित डूरंड रेखा पर फिर

से ध्यान केंद्रित हुआ है, जो दक्षिण एशिया की सबसे संवेदनशील और विवादित सीमाओं में से एक है।

डूरंड रेखा का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

- डूरंड रेखा लगभग 2,640 किलोमीटर लंबा सीमांत है, जो पश्चिम में ईरान की सीमा से लेकर पूर्व में चीन की सीमा तक फैला है।
- यह काराकोरम पर्वत, हिंदू कुश श्रृंखला और रेगिस्तान (रेगिस्तान) से होकर गुजरती है।
- इसे 1893 में ब्रिटिश भारत के विदेश सचिव सर हेनरी मॉर्टिमर डूरंड और अफ़ग़ानिस्तान के अमीर अब्दुर रहमान खान के बीच हुए समझौते के अंतर्गत निर्धारित किया गया था।
- इस समझौते ने पश्तून जनजातीय भूमि को विभाजित कर दिया, जातीय समुदायों को अलग कर दिया और बलूचिस्तान का नियंत्रण ब्रिटिश भारत को सौंप दिया।



विभाजन के बाद के विकास

- पाकिस्तान ने डूरंड रेखा को अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में अपनाया।
- अफ़ग़ानिस्तान ने, हालांकि, इस समझौते की वैधता को अस्वीकार कर दिया, यह तर्क देते हुए कि यह औपनिवेशिक दबाव का परिणाम था, सीमित अवधि का था और कभी भी अफ़ग़ान जनता द्वारा स्वीकार नहीं किया गया।
- **पश्तूनिस्तान की मांग:** दोनों ओर के पश्तूनों ने पश्तूनिस्तान नामक एक स्वतंत्र राज्य की मांग की, जिससे पाकिस्तान–अफ़ग़ानिस्तान संबंध जटिल हो गए।
- **तालिबान का दृष्टिकोण:** पूर्ववर्ती अफ़ग़ान सरकारों की तरह, तालिबान भी डूरंड रेखा को अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में मान्यता देने से मना करता है।

पाकिस्तान और अफ़ग़ानिस्तान के बीच हालिया तनाव

- **पाकिस्तान द्वारा सीमा पर बाड़ लगाना:** पाकिस्तान ने 2017 में डूरंड रेखा पर बाड़ लगाना शुरू किया ताकि विद्रोह और अवैध पारगमन को रोका जा सके।
 - ▲ अफ़ग़ानिस्तान इसे एकतरफा और अवैध कदम मानता है।
- **शांति वार्ता का विफल होना:** तुर्की और क़तर द्वारा मध्यस्थता की गई पाकिस्तान-तालिबान वार्ता का नवीनतम दौर विफल रहा, जिसके साथ सीमा पार गोलीबारी और प्रतिशोधी अभियान हुए।

क्षेत्र पर प्रभाव

- **अफ़ग़ानिस्तान पर आर्थिक दबाव:** पाकिस्तान के माध्यम से पारगमन व्यापार पर अफ़ग़ानिस्तान की भारी निर्भरता किसी भी बंदी को दैनिक वाणिज्य और राहत कार्यों के लिए विनाशकारी बना देती है।
- **पाकिस्तान के प्रभाव का क्षरण:** अस्थिरता पाकिस्तान की महत्वाकांक्षा को खतरे में डालती है कि वह दक्षिण एशिया को मध्य एशिया से जोड़ने वाला व्यापार गलियारा बने।
- **भारत के लिए रणनीतिक अवसर:** अफ़ग़ानिस्तान भारत के साथ (चाबहार बंदरगाह और अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारे के माध्यम से) निकट आर्थिक संबंधों का पीछा कर सकता है, जिससे पाकिस्तान को दरकिनार किया जा सके।
- **जन-जन के बीच तनाव:** सीमा पर बसे परिवार, गाँव और स्थानीय बाज़ार इन व्यवधानों से सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं।
- **आतंक फैलाव पर सुरक्षा चिंताएँ:** डूरंड रेखा पर अस्थिरता क्षेत्र में हथियारों, नशीले पदार्थों और आतंक वित्तपोषण के प्रवाह को बढ़ाती है।
 - ▲ लश्कर-ए-तैयबा (LeT) और जैश-ए-मोहम्मद (JeM) जैसे समूहों ने ऐतिहासिक रूप से अफ़ग़ानिस्तान-पाकिस्तान अस्थिरता का उपयोग पुनर्गठन के लिए किया है, जिससे भारत के लिए जोखिम उत्पन्न होते हैं।

आगे की राह

- पाकिस्तान और अफ़ग़ानिस्तान को गलतफहमी एवं प्रतिशोधी वृद्धि को रोकने के लिए नियमित सुरक्षा तथा सीमा-प्रबंधन वार्ता को संस्थागत बनाना चाहिए।
- परस्पर सहमत प्रोटोकॉल के तहत सीमा पार खोलना व्यापार को स्थिर करेगा और मानवीय संकट को कम करेगा।
- जनजातीय बुजुर्गों, नागरिक समाज और सीमा समुदायों को शामिल करने वाले विश्वास-निर्माण उपाय स्थानीय तनावों को प्रबंधित करने में सहायता कर सकते हैं।

निष्कर्षात्मक टिप्पणियाँ

- डूरंड रेखा के साथ अशांति गहरे मुद्दों को दर्शाती है जैसे औपनिवेशिक विरासत, जातीय विखंडन, पाकिस्तान की दबावपूर्ण कूटनीति और लगातार असुरक्षा।
- स्थायी शांति के लिए, दोनों देशों को निरंतर राजनयिक जुड़ाव, क्षेत्रीय संवेदनशीलताओं का सम्मान और सहयोगी सुरक्षा तंत्र की आवश्यकता है।

Source: TH

भारत और विश्व में गन्ने की विभिन्न भूमिकाएँ संदर्भ

- हाल ही में किए गए अध्ययन “‘जंगली सक्करम प्रजातियों के जीनोमिक पदचिह्न गन्ने के वशीकरण, विविधीकरण और आधुनिक प्रजनन का पता लगाते हैं” में ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, चीन, फ्रांस, फ्रेंच पोलिनेशिया, भारत, जापान एवं अमेरिका से 390 गन्ने की किस्मों के जीनोम का विश्लेषण किया गया।

निष्कर्ष

- ये पौधे विभिन्न जीनों के संकर थे, जिनमें अनेक गुणसूत्र (पॉलीप्लॉइडी) पाए गए।
 - ▲ ऐसी पॉलीप्लॉइडी व्यावसायिक परिवहन के कारण हुई, जब मानव प्रजनकों ने गन्ने को विभिन्न राज्यों में ले जाकर बेचा।
 - ▲ पॉलीप्लॉइडी वह वंशानुगत स्थिति है जिसमें दो से अधिक पूर्ण गुणसूत्र सेट होते हैं।

- जीन विश्लेषण से शोधकर्ताओं ने पाया कि अरुणाचल प्रदेश में सबसे विविध गन्ने की नस्लें पाई जाती हैं।
- लेखकों ने गन्ने की रासायनिक संरचना और उसकी संभावित जैविक गतिविधियों पर चर्चा की, चिकित्सा में इसके अनुप्रयोगों का अध्ययन किया तथा भविष्य के शोध की संभावित दिशा को रेखांकित किया।

भारत में गन्ना उत्पादन

- 2024-2025 में लगभग 4,400 लाख टन गन्ने का उत्पादन हुआ, विशेषकर 13 राज्यों में।
- भारत में गन्ना मुख्यतः दो क्षेत्रों में उगाया जाता है: उप-उष्णकटिबंधीय उत्तर और उष्णकटिबंधीय दक्षिण।
 - ▲ उत्तर का क्षेत्र उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा और पंजाब को शामिल करता है, जबकि दक्षिण का क्षेत्र महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश को कवर करता है।
 - ▲ 2018-2019 से 2023-2024 तक उत्पादन में शीर्ष पाँच राज्य थे: उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और गुजरात।
- भारत विश्व का सबसे बड़ा उपभोक्ता और दूसरा सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक रहा है।

जलवायु परिस्थितियाँ

- गन्ना 20°C से 35°C तापमान पर अच्छी तरह विकसित होता है और इसे 75 से 150 सेमी वर्षा की आवश्यकता होती है।
- यह उपजाऊ और अच्छी तरह से जल निकासी वाली मृदा पसंद करता है तथा पर्याप्त धूप की आवश्यकता होती है।
- पकने एवं कटाई के दौरान ठंडी, शुष्क ऋतु आदर्श होती है।

चुनौतियाँ

- **जल-गहन फसल:** गन्ने को प्रति वर्ष 1,500–2,500 मिमी जल की आवश्यकता होती है; अधिकांश खेती भूजल सिंचाई पर निर्भर करती है, जिससे विशेषकर महाराष्ट्र और यूपी में कमी होती है।
- **कम उत्पादन और क्षेत्रीय भिन्नताएँ:** राज्यों में सिंचाई सुविधाओं की असमानता, मृदा की गुणवत्ता की

समस्याएँ और खराब बीज गुणवत्ता के कारण उत्पादन में भारी अंतर होता है।

- **जलवायु संवेदनशीलता:** गन्ना तापमान, वर्षा पैटर्न और आर्द्रता के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है।
 - ▲ अनियमित मानसून, सूखा, हीटवेव एवं बाढ़ सुक्रोज सामग्री और कुल उत्पादन को प्रभावित करते हैं।
- **मिट्टी की उर्वरता में गिरावट:** लगातार एक ही फसल उगाने और अत्यधिक रासायनिक उर्वरक उपयोग से मृदा में पोषक तत्व असंतुलन, कार्बनिक पदार्थ की कमी, मृदा की लवणता एवं क्षारीयता बढ़ जाती है।
- **कीट और रोग:** प्रमुख समस्याएँ हैं – बोरर, व्हाइट ग्रब्स, पायरीला और रेड रॉट रोग।
- **श्रम की कमी:** गन्ने की खेती में रोपाई, कटाई और लोडिंग के लिए गहन श्रम की आवश्यकता होती है।
- **चीनी मिलों द्वारा भुगतान में देरी:** राज्य परामर्श मूल्य (SAP) और उचित एवं पारिश्रमिक मूल्य (FRP) प्रायः मिलों की वित्तीय क्षमता से सामंजस्यशील नहीं हैं। मूल्य विवादों ने व्यापक विरोध को जन्म दिया है।
- **कटाई के बाद हानि:** गन्ने की मौसमी प्रकृति लॉजिस्टिक चुनौतियाँ उत्पन्न करती है, क्योंकि कटाई के 24 घंटे से अधिक की देरी से सुक्रोज की भारी हानि होती है।
- **एथेनॉल के लिए विचलन की चुनौतियाँ:** एथेनॉल उत्पादन के लिए बढ़ती मांग कभी-कभी चीनी और एथेनॉल क्षेत्रों के बीच प्रतिस्पर्धा उत्पन्न करती है।

सरकारी पहलें

- **उचित एवं पारिश्रमिक मूल्य (FRP):** केंद्र सरकार गन्ना नियंत्रण आदेश, 1966 के अंतर्गत FRP घोषित करती है ताकि किसानों को न्यूनतम गारंटीकृत मूल्य मिल सके।
 - ▲ 2025-26 के लिए, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 10.25% की मूल रिकवरी दर पर ₹355 प्रति क्विंटल FRP को स्वीकृति दी।
- **पीएम-कुसुम सिंचाई समर्थन हेतु:** गन्ना किसानों के लिए सिंचाई लागत कम करने हेतु सौर पंपों को बढ़ावा देना।

- ▲ खेती के लिए विश्वसनीय, कम लागत वाले जल तक पहुँच को बढ़ाता है।
- **फसल विविधीकरण और अंतरफसल:** सरकार, ICAR सहयोग के माध्यम से, मृदा के क्षरण और किसान आय वृद्धि को संबोधित करने के लिए अतिरिक्त अंतरफसल को बढ़ावा दे रही है।
 - ▲ भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने देशभर में कई गन्ना अनुसंधान संस्थान भी स्थापित किए हैं, जो गन्ने की किस्म और उत्पादन में सुधार के लिए शास्त्रीय वनस्पति एवं आणविक जैविक विधियों का उपयोग करते हैं।
- **सहकारी चीनी मिल सुदृढीकरण योजना:** सरकार ने NCDC (राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम) के माध्यम से सहकारी चीनी मिलों के लिए ₹10,000 करोड़ की ऋण योजना स्थापित की। यह योजना समर्थन करती है:
 - ▲ एथेनॉल उत्पादन संयंत्रों की स्थापना।
 - ▲ को-जनरेशन संयंत्रों की स्थापना।
 - ▲ कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं को पूरा करना।
- **संशोधित एथेनॉल ब्याज सबवेंशन योजना:** सहकारी चीनी मिलों के लिए जो वर्तमान गन्ना-आधारित एथेनॉल संयंत्रों को बहु-फीडस्टॉक संयंत्रों में बदल रही हैं, सरकार पाँच वर्षों के लिए प्रति वर्ष 6% या वसूले गए ब्याज का 50% (जो भी कम हो) ब्याज सबवेंशन प्रदान करती है।
- **फसल बीमा – प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY):** गन्ना एक बीमायोग्य वार्षिक वाणिज्यिक फसल के रूप में PMFBY के तहत योग्य है, जो प्राकृतिक आपदाओं, कीटों, रोगों और स्थानीय जोखिमों से उत्पादन हानि के खिलाफ व्यापक कवरेज प्रदान करती है।

आगे की राह

- व्यापक सरकारी ढाँचा उत्पादन दक्षता, किसान आय, मिल व्यवहार्यता, पर्यावरणीय स्थिरता और बाजार स्थिरता को संबोधित करने वाला बहुआयामी दृष्टिकोण प्रदर्शित करता है।

- ये उपाय सामूहिक रूप से भारत की गन्ना उत्पादकता को वर्तमान 70 टन प्रति हेक्टेयर से बढ़ाकर 2030 तक 100-110 टन प्रति हेक्टेयर करने का लक्ष्य रखते हैं।

Source: TH

रुपये का अवमूल्यन: वैश्विक अस्थिरता और संरचनात्मक चिंताएँ

संदर्भ

- हाल ही में रुपये का डॉलर, यूरो और येन जैसी प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले अवमूल्यन वैश्विक अस्थिरता एवं गहरे संरचनात्मक चिंताओं का संकेत देता है।

रुपये का अवमूल्यन के बारे में

- यह भारतीय रुपये के मूल्य में विदेशी मुद्राओं, विशेषकर अमेरिकी डॉलर, के मुकाबले गिरावट को दर्शाता है।
- इसका अर्थ है कि जब रुपया अवमूल्यित होता है तो एक इकाई विदेशी मुद्रा खरीदने के लिए अधिक रुपये की आवश्यकता होती है।


रुपये के अवमूल्यन के प्रमुख कारण

- **व्यापार घाटा:** जब आयात निर्यात से अधिक होता है, तो विदेशी मुद्रा की मांग बढ़ जाती है, जिससे रुपये पर दबाव पड़ता है।
- **पूंजी का बहिर्वाह:** विदेशी निवेशक भारतीय बाजारों से पैसा निकालते हैं, जिससे विदेशी मुद्रा की आपूर्ति घटती है और रुपया कमजोर होता है।
- **वैश्विक डॉलर की मजबूती:** अमेरिकी डॉलर की मजबूती, प्रायः अमेरिका में उच्च ब्याज दरों के कारण, उभरते बाजारों की मुद्राओं जैसे रुपये के अवमूल्यन का कारण बनती है।
- **मुद्रास्फीति का अंतर:** भारत में अपने व्यापारिक साझेदारों की तुलना में अधिक मुद्रास्फीति रुपये की क्रय शक्ति को समय के साथ कम कर सकती है।
- **भूराजनीतिक और आर्थिक अनिश्चितता:** वैश्विक संकट या घरेलू अस्थिरता निवेशकों के विश्वास को कम कर सकती है, जिससे मुद्रा का अवमूल्यन होता है।

वर्तमान अवमूल्यन के कारण

- **सांकेतिक अवमूल्यन:** रुपया अधिकांश प्रमुख मुद्राओं, जिनमें चीनी युआन (11.66 से 12.63) शामिल है, के मुकाबले कमजोर हुआ है।
 - ▲ NEER का 85 से नीचे गिरना इस व्यापक अवमूल्यन को दर्शाता है।
- **कम घरेलू मुद्रास्फीति:** अक्टूबर 2025 में भारत की CPI मुद्रास्फीति 0.25% रही, जो प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं जैसे अमेरिका और जापान (3%), यूके (3.6%), यूरो क्षेत्र (2.1%), इंडोनेशिया (2.9%) एवं ब्राज़ील (4.7%) से काफी कम है।
 - ▲ सांकेतिक अवमूल्यन और कम मुद्रास्फीति के संयोजन ने REER में गिरावट ला दी है, जिससे संकेत मिलता है कि रुपया अब अवमूल्यित है और भारतीय निर्यात मूल्य प्रतिस्पर्धा प्राप्त कर सकते हैं।
- **NEER और REER में गिरावट:**
 - ▲ NEER: 90.75 (जनवरी 2025) से घटकर 84.58 (अक्टूबर 2025) हो गया — केवल नौ महीनों में 6.8% की गिरावट।
 - ▲ REER: अपने रिकॉर्ड उच्च 108.06 (नवंबर 2024) से घटकर 97.47 (अक्टूबर 2025) हो गया — 9.8% का सुधार, जिससे रुपया अधिक मूल्यवान से अवमूल्यित हो गया।

• Nominal and Real Effective Exchange Rate Indices of Rupee



NOTE: INDICES ARE BASED ON TRADE-WEIGHTED EXCHANGE RATES AGAINST 40-CURRENCY BASKET.

SOURCE: RESERVE BANK OF INDIA

NEER और REER के बारे में

- अर्थशास्त्री द्विपक्षीय विनिमय दरों से आगे बढ़कर दो सूचकांकों — नाममात्र प्रभावी विनिमय दर (NEER) और वास्तविक प्रभावी विनिमय दर (REER) — को देखते हैं ताकि रुपये की वास्तविक प्रतिस्पर्धा का आकलन किया जा सके।

- ▲ **NEER:** 40-मुद्रा टोकरी के मुकाबले रुपये की विनिमय दरों का भारित औसत (आधार वर्ष: 2015-16)।
- ▲ **REER:** NEER को भारत और उसके व्यापारिक साझेदारों के बीच मुद्रास्फीति के अंतर के अनुसार समायोजित किया जाता है।
- NEER या REER में गिरावट रुपये के कमजोर होने का संकेत देती है, जबकि वृद्धि मूल्यवृद्धि को दर्शाती है।

कमजोर रुपये के प्रभाव

- **मुद्रास्फीति का दबाव:** आयातित वस्तुएँ, जिनमें इलेक्ट्रॉनिक्स, ईंधन और आवश्यक वस्तुएँ शामिल हैं, महंगी हो रही हैं, जिससे घरेलू बजट प्रभावित होता है।
 - ▲ चूँकि भारत अपनी तेल आवश्यकताओं का 80% से अधिक आयात करता है, ईंधन की कीमतें बढ़ती हैं, जिससे परिवहन, खाद्य और विनिर्माण लागत पर श्रृंखलाबद्ध प्रभाव पड़ता है तथा मुद्रास्फीति बढ़ती है।
- **कॉर्पोरेट लाभप्रदता:** रुपये का अवमूल्यन भारत के कॉर्पोरेट क्षेत्र (India Inc) के लाभ को कम करने की संभावना है, विशेषकर उन कंपनियों के लिए जिनकी आयात पर उच्च निर्भरता या विदेशी मुद्रा में उधारी है।
- **व्यापार संतुलन और निर्यात प्रतिस्पर्धा:** कमजोर रुपया भारतीय वस्तुओं को विदेशों में सस्ता बनाकर निर्यात प्रतिस्पर्धा को बढ़ा सकता है, लेकिन लाभ प्रायः वैश्विक मांग में मंदी या आपूर्ति श्रृंखला व्यवधानों से सीमित हो जाता है।
 - ▲ इसके अलावा, तेल और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे उच्च-मूल्य आयातों से प्रेरित भारत का संरचनात्मक व्यापार घाटा मुद्रा अवमूल्यन के सकारात्मक प्रभाव को सीमित करता है।
- **पूंजी प्रवाह और निवेशक भावना:** मुद्रा अस्थिरता विदेशी निवेशकों को हतोत्साहित कर सकती है, विशेषकर इक्विटी और ऋण बाजारों में।
 - ▲ वैश्विक जोखिम से बचाव और अमेरिका में उच्च ब्याज दरों से प्रेरित पूंजी बहिर्वाह ने रुपये की गिरावट को बढ़ा दिया है।

IMF का पुनर्वर्गीकरण और RBI की विनिमय दर नीति

- IMF ने 26 नवंबर 2025 की अपनी रिपोर्ट में भारत की विनिमय दर व्यवस्था को 'क्रॉल-लाइक अरेंजमेंट' के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया, जो नवंबर 2023 में 'फ्लोटिंग' से 'स्थिर' व्यवस्था में पहले बदलाव के बाद हुआ।
 - ▲ क्रॉल-लाइक व्यवस्था मुद्रा के मूल्य में परिभाषित प्रवृत्ति के आसपास 2% बैंड के अंदर क्रमिक समायोजन की अनुमति देती है, जिससे लचीलापन मिलता है और अचानक बदलाव से बचा जा सकता है।
- **RBI का वर्तमान दृष्टिकोण:** RBI ने अधिक लचीला दृष्टिकोण अपनाया है, केवल अत्यधिक अस्थिरता को कम करने के लिए कभी-कभी हस्तक्षेप करता है।
- यह निम्नलिखित कारणों से प्रेरित है:
 - ▲ मुद्रास्फीति में कमी, जिससे मजबूत रुपये की आवश्यकता घटती है।
 - ▲ निर्यात प्रतिस्पर्धा को बनाए रखने की आवश्यकता, विशेषकर वैश्विक व्यापार तनाव और आपूर्ति श्रृंखला में बदलाव के बीच।
- RBI ने रुपये को स्थिर करने के लिए विदेशी मुद्रा बाजार में हस्तक्षेप किया है। इसका प्रभाव हो सकता है:
 - ▲ **विदेशी मुद्रा भंडार:** लगातार हस्तक्षेप से विदेशी मुद्रा भंडार में कमी आई है, जिससे RBI की रुपये की रक्षा करने की क्षमता सीमित हो जाती है।
 - ▲ **मुद्रास्फीति जोखिम:** कमजोर रुपया आयात को महंगा बनाता है, जिससे मुद्रास्फीति बढ़ सकती है और RBI की मौद्रिक नीति जटिल हो सकती है।

आगे की राह

- रुपये का REER और गिर सकता है, जिससे यह अवमूल्यित बना रहेगा यदि सांकेतिक अवमूल्यन एवं मंद मुद्रास्फीति की प्रवृत्ति जारी रहती है।
- ऐसी स्थिति निर्यातकों को लाभ पहुंचा सकती है, लेकिन यदि वैश्विक मुद्रास्फीति का दबाव फिर से उभरता है तो समय के साथ आयात लागत बढ़ सकती है।
- वर्तमान अवमूल्यन व्यापार को अस्थायी लाभ दे सकता है क्योंकि भारत की मुद्रास्फीति नियंत्रण में है और बाहरी प्रतिस्पर्धा में सुधार हो रहा है।

- हालाँकि, स्थिरता बनाए रखने के लिए आने वाले महीनों में मुद्रा लचीलापन, मुद्रास्फीति नियंत्रण और पूंजी प्रवाह प्रबंधन के बीच सावधानीपूर्वक संतुलन की आवश्यकता होगी।

Source: IE

भारत के परमाणु क्षेत्र में निजी क्षेत्र का प्रवेश

संदर्भ

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार परमाणु क्षेत्र को निजी खिलाड़ियों के लिए खोलने की दिशा में आगे बढ़ रही है।

परिचय


- परंपरागत रूप से भारत में परमाणु ऊर्जा संयंत्र केवल राज्य-स्वामित्व वाली न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (NPCIL) और इसकी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम (BHAVINI) द्वारा ही संचालित किए गए हैं।
- निजी क्षेत्र की भागीदारी की अनुमति देने के लिए सरकार ने प्रमुख विधानों में संशोधन का प्रस्ताव रखा है:
 - ▲ परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 – परमाणु ऊर्जा विकास और विनियमन के लिए ढांचा।
 - ▲ नाभिकीय क्षति हेतु नागरिक दायित्व अधिनियम, 2010 – परमाणु घटनाओं के लिए क्षतिपूर्ति तंत्र सुनिश्चित करता है।

परमाणु ऊर्जा क्या है?

- परमाणु ऊर्जा वह ऊर्जा है जो नाभिकीय अभिक्रियाओं के दौरान निकलती है, चाहे विखंडन (परमाणु नाभिक का विभाजन) से हो या संलयन (परमाणु नाभिक का विलय) से।
- नाभिकीय विखंडन में, यूरेनियम या प्लूटोनियम जैसे भारी परमाणु नाभिक हल्के नाभिकों में विभाजित हो जाते हैं और बड़ी मात्रा में ऊर्जा निकलती है।
 - ▲ इस प्रक्रिया का उपयोग विद्युत उत्पादन के लिए परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में किया जाता है।

भारत में परमाणु ऊर्जा क्षमता की स्थिति

- देश में वर्तमान स्थापित परमाणु ऊर्जा क्षमता 8,180 मेगावाट है, जो 24 परमाणु ऊर्जा रिएक्टरों में फैली हुई है।
- सरकार ने 2047 तक देश की परमाणु ऊर्जा क्षमता को 100 गीगावाट तक बढ़ाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है।
- क्षमता विस्तार:** गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु, हरियाणा, कर्नाटक और मध्य प्रदेश में कुल 8 गीगावाट क्षमता वाले 10 नए रिएक्टर निर्माणाधीन हैं।
- ▲ **अनुमोदन:** अमेरिका के सहयोग से आंध्र प्रदेश में 6×1208 मेगावाट का परमाणु संयंत्र।



निजी क्षेत्र की भागीदारी के लाभ

- तीव्र क्षमता विस्तार:** निजी निवेश परमाणु ऊर्जा वृद्धि के लिए आवश्यक वित्तीय अंतर को समाप्त करने में सहायता करेगा।
- प्रौद्योगिकी उन्नति:** निजी कंपनियों के साथ सहयोग नवाचार को बढ़ावा देगा और वैश्विक विशेषज्ञता लाएगा।
- लागत दक्षता:** प्रतिस्पर्धी बोली और निजी भागीदारी परियोजना लागत एवं देरी को कम करने में सहायता करेगी।
- ऊर्जा सुरक्षा:** परमाणु ऊर्जा उत्पादन में वृद्धि भारत को जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता कम करने और स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों को पूरा करने में सहायता करेगी।

निजी क्षेत्र की भागीदारी से जुड़ी चिंताएँ

- नियामक बाधाएँ:** निजी क्षेत्र की भागीदारी सक्षम करने के लिए वर्तमान कानूनों में संशोधन आवश्यक है।

- उच्च पूंजी आवश्यकता:** परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं में लंबी अवधि और बड़े प्रारंभिक निवेश शामिल होते हैं, जो निजी खिलाड़ियों को हतोत्साहित करते हैं।
- दायित्व संबंधी चिंताएँ:** नाभिकीय क्षति हेतु नागरिक दायित्व अधिनियम ऑपरेटरों पर उच्च दायित्व लगाता है, जिससे निजी निवेश जोखिमपूर्ण हो जाता है।
- सुरक्षा और संरक्षा:** परमाणु ऊर्जा में सख्त सुरक्षा प्रोटोकॉल की आवश्यकता होती है, और निजी कंपनियों को रिएक्टर संचालित करने की अनुमति देने के लिए बेहतर नियामक निगरानी आवश्यक है।
- जन धारणा:** परमाणु सुरक्षा, अपशिष्ट प्रबंधन और विकिरण जोखिमों को लेकर जनता का विरोध का सामना करना पड़ सकता है।

सरकारी कदम

- भारत ने छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर (SMRs) के विकास के लिए 20,000 करोड़ रुपये का R&D मिशन घोषित किया है।
- भारत 2033 तक कम से कम पाँच स्वदेशी विकसित रिएक्टरों की तैनाती का लक्ष्य रख रहा है।
- NPCIL और NTPC ने देश में परमाणु ऊर्जा सुविधाओं के विकास के लिए एक पूरक संयुक्त उद्यम (JV) समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।
- यह JV *ASHVINI* नाम से परमाणु ऊर्जा संयंत्रों का निर्माण, स्वामित्व और संचालन करेगा, जिसमें आगामी *4x700 MWe PHWR माही-बांसवाड़ा राजस्थान परमाणु ऊर्जा परियोजना* भी शामिल है।

आगे की राह

- स्पष्ट नियामक ढांचा:** सुरक्षा, अनुपालन और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए एक सुदृढ़ नियामक वातावरण स्थापित करना, जवाबदेही एवं राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी चिंताओं को संबोधित करना।
- सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP):** ऐसी साझेदारियों को बढ़ावा देना जहाँ सरकार निगरानी बनाए रखे, जबकि निजी खिलाड़ी संचालन, नवाचार और निवेश संभालें, जिससे हितों का संतुलन सुनिश्चित हो।

- **क्रमिक कार्यान्वयन:** पायलट परियोजनाओं और छोटे पैमाने की पहलों से शुरुआत करना ताकि निजी क्षेत्र की भागीदारी का परीक्षण हो सके तथा बड़े पैमाने पर कार्यान्वयन से पहले जोखिम प्रबंधन सुनिश्चित किया जा सके।

Source: AIR

संक्षिप्त समाचार

एलोरा की गुफाएँ

संदर्भ

- स्कॉटिश इतिहासकार विलियम डैलरिम्पल ने महाराष्ट्र सरकार से एलोरा गुफाओं के आसपास कम प्रसिद्ध विरासत स्थलों को अधिक दृश्यता देने का आग्रह किया है।

परिचय

- महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में स्थित एलोरा गुफाएँ भारत की प्रथम यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों में से एक हैं।
- यह गुफा परिसर 600 ईस्वी से 1000 ईस्वी के बीच बनाया गया था, जो चालुक्य, राष्ट्रकूट और यादवों के शासनकाल को समेटता है।
- **धार्मिक बहुलता:** इस परिसर में कुल 34 प्रमुख गुफाएँ हैं — 12 बौद्ध, 17 हिंदू और 5 जैन। यह धार्मिक सद्भाव एवं कलात्मक आदान-प्रदान के एक अद्वितीय काल को दर्शाता है।

मुख्य स्थापत्य विशेषताएँ

- **कैलासा मंदिर (गुफा 16):** यह एक ही विशाल बेसाल्ट पत्थर से तराशा गया है और हिंदू देवता भगवान शिव को समर्पित है।
- इसका डिजाइन कैलाश पर्वत (भगवान शिव का निवास) की प्रतिकृति है और इसमें जटिल द्रविड़ शैली की वास्तुकला, बहु-स्तरीय मंडप, मूर्तिकला पैनल एवं विस्तृत कथात्मक फ्रिज शामिल हैं।
- **बौद्ध गुफाएँ:** इनमें विहार (मठ) और चैत्य (प्रार्थना स्थल) शामिल हैं।



- गुफा 10, **विश्वकर्मा गुफा**, में मेहराबदार छत और बारीकी से तराशी गई बुद्ध की बैठी हुई प्रतिमा है।
- **जैन गुफाएँ:** एलोरा के विकास के बाद के चरण में निर्मिता।
- ये अपनी संवेदनशील नक्काशी, तीर्थंकर प्रतिमाओं और तपस्या तथा ब्रह्मांडीय व्यवस्था के विषयों के लिए प्रसिद्ध हैं।
- गुफा 32 (**इंद्र सभा**) अपने समृद्ध रूप से तराशे गए स्तंभों और छत के पैनलों के लिए उल्लेखनीय है।

Source: TH

हॉर्नबिल महोत्सव

समाचार में

- नागालैंड का प्रसिद्ध **हॉर्नबिल महोत्सव** (जिसे “त्यौहारों का त्यौहार” कहा जाता है) का 26वाँ संस्करण किसामा, कोहिमा स्थित **नगा हेरिटेज विलेज** में राज्य के स्थापना दिवस (1 दिसंबर) के साथ शुरू हुआ।

हॉर्नबिल महोत्सव

- यह प्रत्येक वर्ष दिसंबर के प्रथम सप्ताह में कोहिमा के पास किसामा में आयोजित किया जाता है और सभी नगा जनजातियों का जीवंत सांस्कृतिक प्रदर्शन है।
- इसे वर्ष 2000 में एकता को बढ़ावा देने और जातीय विरासत को संरक्षित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था।
- यह पारंपरिक और आधुनिक नगा संस्कृति को संगीत, शिल्प, भोजन एवं लोककथाओं के माध्यम से प्रदर्शित करता है।

- इसका स्थल नगा हेरिटेज विलेज सांस्कृतिक परंपराओं की रक्षा और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया था।
- इसमें सत्रह स्वदेशी मोरंग (युवा छात्रावास) हैं, जिनमें से प्रत्येक एक विशिष्ट जनजाति का प्रतिनिधित्व करता है।

महत्व

- इस महोत्सव ने नागालैंड के पर्यटन परिदृश्य को बदल दिया है, जिससे आगंतुकों को एक ही स्थान पर नगा जीवन की विविधता और विशिष्टता का अनुभव करने का अद्वितीय अवसर मिलता है।

Source :Air

बैकोनूर कॉस्मोड्रोम

समाचार में

- Soyuz-2.1a रॉकेट ने बैकोनूर के साइट 31/6 को क्षतिग्रस्त कर दिया, जब एक सेवा प्लेटफॉर्म ध्वस्त होकर फ्लेम ट्रेच में गिर गया। इसके कारण Soyuz MS-28 मिशन के दौरान मानवयुक्त प्रक्षेपण निलंबित कर दिए गए।
- बैकोनूर ने पहले भी दुर्घटनाएँ देखी हैं, विशेष रूप से 1960 की नेडेलिन आपदा।

बैकोनूर कोस्मोड्रोम

- यह कज़ाखस्तान में स्थित एक अंतरिक्ष बंदरगाह है, जिसे रूस पट्टे पर लेकर अपने अंतरिक्ष प्रक्षेपण स्थल के रूप में संचालित करता है।
- इसे 1950 के दशक में पहले एक मिसाइल परीक्षण स्थल के रूप में बनाया गया था, बाद में यह सोवियत अंतरिक्ष कार्यक्रम का केंद्र बन गया।
- इसमें प्रक्षेपण परिसर, असेंबली भवन, ट्रेकिंग स्टेशन और आवासीय सुविधाएँ शामिल हैं।
- इसकी सुविधाएँ प्रोटॉन और सोयुज रॉकेटों तथा अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए बनाए गए कार्गो जहाजों को समायोजित कर सकती हैं।

Source :TH

ऑनलाइन मैसेजिंग प्लेटफॉर्म के लिए SIM बाइंडिंग अनिवार्य

संदर्भ

- दूरसंचार विभाग (DoT) ने ऑनलाइन मैसेजिंग प्लेटफॉर्मों को निर्देश दिया है कि वे उपयोगकर्ताओं को उस सिम कार्ड के बिना अपनी सेवाओं तक पहुँचने से रोकें, जिसका उपयोग एप्लिकेशन के लिए पंजीकरण में किया गया था।

परिचय

- नए नियमों के अनुसार व्हाट्सएप, टेलीग्राम, सिग्नल, अराटाई, स्नैपचैट, शेयरचैट और जियोचैट जैसे ऐप्स को लगातार यह सत्यापित करना होगा कि जिन स्मार्टफोन पर वे चल रहे हैं, उनमें वही पंजीकृत सिम कार्ड सक्रिय है या नहीं।
- यदि पंजीकृत सिम फोन में नहीं पाया जाता है, तो ऐप्स को कार्य करना बंद करना होगा।
- इन ऐप्स के वेब संस्करणों के लिए, सेवा को उपयोगकर्ताओं को स्वतः ही समय-समय पर लॉगआउट करना होगा, अधिकतम प्रत्येक छह घंटे में।
- इस विनियमन का उद्देश्य साइबर धोखाधड़ी को रोकना और सुरक्षा को बढ़ाना है।
- इसके अतिरिक्त चेतावनी दी गई है कि नए नियमों का पालन न करने पर दूरसंचार अधिनियम, 2023, टेलीकॉम साइबर सुरक्षा नियम और अन्य लागू कानूनों के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी।

Source: IE

भारत 2025-29 के कार्यकाल के लिए यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड में पुनः निर्वाचित

समाचार में

- भारत को 2025-29 कार्यकाल के लिए यूनेस्को कार्यकारी बोर्ड में पुनः निर्वाचित किया गया है।

यूनेस्को कार्यकारी बोर्ड

- यह संयुक्त राष्ट्र एजेंसी के तीन संवैधानिक अंगों में से एक है (अन्य दो हैं जनरल कॉन्फ्रेंस और सचिवालय) और इसे जनरल कॉन्फ्रेंस द्वारा चुना जाता है।

- यह जनरल कॉन्फ्रेंस के अधिकार के अंतर्गत कार्य करता है।
- यह संगठन के कार्य कार्यक्रम और निदेशक-जनरल द्वारा प्रस्तुत संबंधित बजट अनुमानों की समीक्षा करता है।
- इसमें 58 सदस्य राष्ट्र होते हैं, प्रत्येक का कार्यकाल चार वर्ष का होता है।

कार्य

- यह सम्मेलन का एजेंडा तैयार करता है, कार्य कार्यक्रम एवं बजट प्रस्तावों की समीक्षा करता है और सिफारिशें प्रस्तुत करता है।
- यह संयुक्त राष्ट्र से बाहर नए राज्यों को शामिल करने, निदेशक-जनरल की नियुक्ति पर परामर्श देता है और संगठनात्मक गतिविधियों पर रिपोर्टों की समीक्षा करके कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की निगरानी करता है।
- यह जनरल कॉन्फ्रेंस के विशेष सत्र बुला सकता है और शिक्षा, विज्ञान, मानविकी एवं ज्ञान प्रसार में अंतर्राष्ट्रीय या गैर-सरकारी सम्मेलनों का आयोजन कर सकता है।

भारत के लिए महत्व

- भारत का पुनः निर्वाचन अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के बहुपक्षवाद और शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान, संचार और सूचना में यूनेस्को के जनादेश के प्रति लंबे समय से चले आ रहे समर्पण पर विश्वास को दर्शाता है।
- कार्यकारी बोर्ड में भारत की निरंतर उपस्थिति समावेशी, मानव-केंद्रित विकास की उसकी दृष्टि और राष्ट्रों के बीच सहयोग को सुदृढ़ करने के लिए बढ़ते वैश्विक समर्थन को रेखांकित करती है।

Source :Air

केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF)

संदर्भ

- केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) ने संसद सुरक्षा ड्यूटी पर तैनात कर्मियों के लिए संशोधित पदस्थापन नीति लागू की है।

परिचय

- संसद में तैनात CISF कर्मियों का कार्यकाल पहले तीन वर्ष था, जिसे अब न्यूनतम चार वर्ष कर दिया गया है।

- 2024 में CISF ने संसद की सभी मुख्य सुरक्षा परतों का कार्यभार संभाला।
- नई नीति में सख्त पात्रता मानदंड और बहु-स्तरीय जाँच शामिल हैं।
 - केवल वे ही कर्मी तैनात किए जाएंगे जिनका सेवा रिकॉर्ड स्वच्छ हो और जो मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन परीक्षण पास करें।
- अपडेटेड प्रणाली से संसद प्रोटोकॉल की बेहतर समझ और सुरक्षा संचालन की समग्र दक्षता में सुधार की संभावना है।

केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF)

- यह एक अर्धसैनिक बल है जिसकी स्थापना 1969 में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 के तहत की गई थी।
 - प्रत्येक वर्ष 10 मार्च को CISF स्थापना दिवस मनाया जाता है।
- इस बल का नेतृत्व महानिदेशक (DG) करते हैं और यह भारत के गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है।
- भूमिकाएँ
 - अंतरिक्ष विभाग, परमाणु ऊर्जा विभाग, हवाई अड्डे, दिल्ली मेट्रो और बंदरगाह जैसे सामरिक प्रतिष्ठानों को सुरक्षा प्रदान करना।
 - ऐतिहासिक स्मारकों और भारतीय अर्थव्यवस्था के मूल क्षेत्रों जैसे पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस, विद्युत, कोयला, इस्पात एवं खनन को सुरक्षा देना।
 - विभिन्न संवेदनशील प्रतिष्ठानों और निजी क्षेत्र के संचालन को आतंकवाद-रोधी सुरक्षा प्रदान करना।
 - CISF निजी उद्योगों और भारतीय सरकार के अन्य संगठनों को परामर्श सेवाएँ भी प्रदान करता है।
 - यह Z Plus, Z, X, Y श्रेणी के संरक्षित व्यक्तियों को भी सुरक्षा प्रदान करता है।

Source: TH

हंसा-3 एनजी ट्रेनर विमान

संदर्भ

- CSIR-नेशनल एयरोस्पेस लेबोरेट्रीज (NAL), बेंगलुरु ने स्वदेशी हंसा-3 (NG) ट्रेनर विमान का “उत्पादन संस्करण” लॉन्च किया है।

हंसा-3 के बारे में

- हंसा-3 भारत का स्वदेशी दो-सीटों वाला ट्रेनर विमान है जिसे CSIR-NAL ने विकसित किया है।
- इसे बुनियादी उड़ान प्रशिक्षण के लिए डिज़ाइन किया गया था, जिसमें एनालॉग उपकरण, यांत्रिक रूप से संचालित फ्लैप और मानक कॉकपिट शामिल थे, जो मुख्य रूप से फ्लाइट क्लबों एवं पायलट प्रशिक्षण स्कूलों के लिए उपयुक्त था।
- पूरी तरह से फाइबरग्लास और कार्बन कंपोज़िट सामग्री से निर्मित होने के कारण इसमें जंग-रोधी क्षमता, क्षति सहनशीलता एवं मरम्मत में आसानी जैसी अंतर्निहित विशेषताएँ हैं।

हंसा-3 NG (न्यू जनरेशन)

- हंसा-3 NG हंसा-3 का उन्नत संस्करण है, जिसमें निम्नलिखित प्रमुख विशेषताएँ हैं:
 - ✦ **डिजिटल ग्लास कॉकपिट:** एनालॉग उपकरणों की जगह लेकर बेहतर स्थितिजन्य जागरूकता प्रदान करता है।
 - ✦ **ईंधन क्षमता में वृद्धि:** लंबे प्रशिक्षण सॉर्टीज और अधिक सहनशक्ति को सक्षम बनाता है।
 - ✦ **स्थिर उड़ान संचालन:** कम स्टॉल स्पीड और पूर्वानुमेय व्यवहार इसे प्रारंभिक (ab-initio) प्रशिक्षण के लिए आदर्श बनाते हैं।

Source: TH

खाद्य और कृषि के लिए पादप आनुवंशिक संसाधनों पर अंतर्राष्ट्रीय संधि

संदर्भ

- खाद्य और कृषि हेतु पादप आनुवंशिक संसाधनों पर अंतर्राष्ट्रीय संधि (ITPGRFA) की 11वीं संचालन निकाय बैठक लीमा, पेरू में संपन्न हुई, लेकिन स्टैंडर्ड

मैटेरियल ट्रांसफर एग्रीमेंट (SMTA) के अंतर्गत शामिल फसलों की सूची का विस्तार करने पर कोई सर्वसम्मति नहीं बन सकी।

परिचय

- भारत और कई अन्य देशों ने बहुपक्षीय प्रणाली (MLS) को सभी फसलों तक विस्तारित करने और लाभ-साझाकरण नियमों में संशोधन के प्रस्ताव का विरोध किया, यह तर्क देते हुए कि इससे बीज विविधता पर राष्ट्रीय संप्रभुता कमजोर हो सकती है।
- SMTA के अंतर्गत 64 फसलों की आनुवंशिक सामग्री केवल संधि सदस्य देशों के लिए उपलब्ध है और वह भी केवल अनुसंधान, प्रजनन एवं प्रशिक्षण के लिए।
- प्राप्तकर्ता इस सामग्री पर उसके वर्तमान रूप में बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR) का दावा नहीं कर सकते और उन्हें संधि के चार लाभ-साझाकरण तंत्रों के माध्यम से लाभ साझा करना अनिवार्य है।

ITPGRFA क्या है?

- ITPGRFA एक कानूनी रूप से बाध्यकारी FAO संधि है, जिसे 2001 में अपनाया गया और 2004 से लागू किया गया।
- इसका उद्देश्य खाद्य और कृषि हेतु पादप आनुवंशिक संसाधनों (PGRFA) का संरक्षण, सतत उपयोग और न्यायसंगत लाभ-साझाकरण सुनिश्चित करना है।
- यह जैव विविधता संधि (CBD) और नागोया प्रोटोकॉल को पूरक करता है।

Source: BS

■■■■■